महेश बनाम कमला वादपत्र आरटीए –53
मु0 न0 2021/631 निर्णय 25/11/24

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला–दौसा

पीठासीन अधिकारी – विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
– सहायक कलक्टर लालसोट,दौसा

मुकदमा नम्बर – 2023/27

दर्ज दिनांक :– – .... 13..04..2023

1. महेश पुत्र रामसहाय जाति खटीक उम्र 44 वर्ष निवासी लिवाली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

– (वादी)

बनाम्

1. कमला पत्नि रामकरण
2. लल्लू पुत्र कन्हैया लाल
3. पप्पू पुत्र श्रीया
4. रामनारायण पुत्र श्रीया

(1 से 4) जाति बैरवा निवासी ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट

– (प्रतिवादीगण)

उपस्थित :– 1. श्री राकेश शर्मा (अधिवक्ता) – वादी

2. प्रतिवादीगण – एकपक्षीय कार्यवाही

वाद तकास्मा एवं स्थायी निशेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 का0 त0 अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2025.01.03 11:17:53 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय :: दिनांक 25/11/24

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा उनवानी प्रकरण वाद बाबत भूमि विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस

सहायक कलक्टर

महेश बनाम कमला वादपत्र आरटीए -53
मु0 न0 2021/631 निर्णय 25/11/24

आशय का पेश किया कि ग्राम बिलौना कला तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 564 रकबा 2.7569 हैक्ट. कृषि भू..मि वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका आदिनांक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विवादित आराजी का वादी रिकॉर्डेड सह–खातेदार है। उभयपक्ष मुताबिक राजस्व राजस्व रिकॉर्ड बहामी तौर पर विभाजन कर मौके पर अपने– अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि को काफी रूप्या व परिश्रम से समतल एवम् उपजाउ बनाया है। जिस पर काबिज होकर वादीगण काफी समय से काश्त कर रहे है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता मकान भी बना रखा है। वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं होने के चलते उभयपक्ष के बीच अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा किन्तु प्रतिवादी आनाकानी करते रहे तथा वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि से वादी को बेदल करने का असफल प्रयास करने की धमकी देने लगे इस कारण यह दावा प्रस्तुत कर वादी ने मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकास्मा करवाने का निवेदन किया है। वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय. कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस गई तथा दिनांक 08.09.2023 .को वादीनी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार लालसोट को मुताबिक निर्णय एवम डिक्री विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये। तहसीलदार लालसोट से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए जो पत्रावली में शामिल किये गये। तदुपरान्त पत्रावाली वास्ते आपत्ति विभाजन [illegible] नियत की गई। किसी भी पक्ष की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की [illegible] तदुपरान्त पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर वकील वादी की [illegible] बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2025.01.03 11:17:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की मौजूदगी में तैयार किये गये है तहसीलदार लालसोट के हस्ताक्षर है इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव दोषरहित प्रतीत होते है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति अथवा आक्षेप भी प्रस्तुत नहीं होने पर एवम वकील वादी की बहस उपरान्त वादी का वादपत्र स्वीकार कर निम्नानुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्र.स.	कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1	महेश पुत्र रामसहाय जाति खटीक सा. लिवाली तहसील बामनवास खातेदार रहन बदस्तुर	564/2	0.5514	
	कुल	1	0.5514	
2	कमला पत्नि स्व. रामकरण हि. 2757/22055 कल्लू पुत्र कन्हैया हि. 13784/22055 पप्पू, रामनारायण पिता श्रीया हि. 5514/22055 जाति बैरवा सा. देह खातेदार। रहन बदूस्तुर	564/1	2.2055	
	कुल	1	2.2055	

उक्त विवेचन एवम् तथ्यों के अनुसार वादीनी का वादपत्र विधि के प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् सिद्ध होता है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाते है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 564 रकबा 2.7569 हैक्ट. वाकै ग्राम बिलौना कला तहसील लालसोट स्थित कृषि भूमि का मुताबिक कुर्रेजात उपरोक्तानुसार अंतिम रूप से विभाजन कर वादी का वादपत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को मुताबिक निर्णय एवम् डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद [illegible] निर्देश दिये जाते है। निर्णय डिक्री एवम विभाजन प्रस्ताव की एक प्रति तहसीलदार को [illegible] जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का पार्ट रहेगे। डिक्री पर्चा जारी हो। [illegible] नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2025.01.03 11:17:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25/11/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)